स्थाई आजीविका

मनरेगा ,महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक सरकारी रोजगार योजना है जो ग्रामीण परिवारों को भुगतान योग्य काम के 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की हर साल की गारंटी देती है। प्रगति ग्रामीण विकास संस्था इस योजना के तहत सामाजिक रूप से अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति एवं अन्य गरीब परिवार की भागीदारी बढ़ाने के लिये काम कर रही है ।

सामाजिक रूप से अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति एवं अन्य गरीब परिवार :–मनेरगा उन गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण आजीविका विकल्प है जो जीवनयापन के लिए संघर्ष करते हैं क्योकि उनके पास अच्छी खेती और कुशल कौशल नही होता है ।मनरेगा काम करने और उचित समय पर मजदुरी सुनिश्चित करता है ।

वास्तव में देखा गया कि सामाजिक रूप से अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति एवं अन्य गरीब परिवारों में ज्ञान और सहायता की कमी के कारण मनरेगा का कम उपयोंग कम किया गया है ।

- मनरेगा के तहत जॉब कार्ड और काम की मॉग में समस्याएं ,स्थानीय शासन प्रणाली के कारण धीमी और अनुत्तदायी रही है ।
- समय पर भुगतान नही होना ।
- ये मनरेगा के तहत किये जाने वाले काम के बारे में फैसला करने के लिये वार्षिक योजना प्रक्रिया में शामिल नही किया जाना।
- परिणाम स्वरूप परिसंपत्तियों का उपयोग नही कर पाना जैसे पानी के पंप या सिंचाई प्रणाली

- मनेरगा संस्था में सबसे बड़ा विषयगत हस्तक्षेप है जिसमें भीमपुर विकासखण्ड के पॉच पंचायतों के 12 ग्राम शामिल है ।
- प्रगति ग्रामीण विकास संस्था सोजना के बारे में जागरूकता तथा इसमें भागीदारी बढ़ाने के लिये अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति एवं अन्य गरीब परिवार के लोगो के साथ काम रही है ।

- **संस्था द्वारा जानकारी का प्रचार –प्रसार :–**

1. रा.ग्रा. रोजगार योजना व कानून के अंतर्गत गांव के हर परिवार को 1 वर्ष में 100 दिन का निश्चित रोजगार अपनी पंचायत से पाने का हक है।

2. सबसे पहले अपने परिवार का पंजीयन पंचायत में कराकर जॉब कार्ड बनाना जरूरी।

3. काम की जरूरत पड़ने पर काम के लिये पंचायत में या जनपद पंचायत में जॉब कार्ड के क्रमांक के साथ आवेदन करके उसकी पावती लेना।

4. आवेदन देने की तारीख से 15 दिन के अंदर पंचायत द्वारा काम दिया जाना, सूचना पटल या मुनादी द्वारा काम जगह की सूचना देना।

5. 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ते की मांग करना आवेदन करके। साथ में आवेदन की पावती लगाना जरूरी।

6. पंचायत द्वारा काम खुलने वाली जगह की सूचना देने पर काम के लिये जाना, काम मिलने के बाद भी काम पर नहीं जाने की दशा में 3 माह तक बेरोजगारी भत्ता पाने से वंचित।

7. इस योजना व कानून के अंतर्गत लगातार कम से कम 14 दिन तक काम देने का प्रावधान पंचायत को है।

8. बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिनों तक न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई लगातार आगे के दिनों में भी यदि काम नहीं दिया जाता है तो न्यूनतम मजदूरी का आधा बेरोजगारी भत्ता राशि मिलेगी।

9. महिलाओं को पुरुष के बराबर (समान) मजदूरी मिलेगी।

10. मजदूरी का भुगतानसप्ताह के अंतिम दिन या 15 दिन के अंदर जरूरी।

11. मजदूरी का भुगतान पाने के लिये बैंक में खाता खुलवाना।

12. किये गये कार्य व मजदूरी दर की जॉब कार्ड में जॉच करना।

13. गलत लिखी गई जानकारी को ठीक करवाना।

14. 5 कि.मी. से दूर काम मिलने पर मजदूरी का 10 प्रतिशत यात्रा भत्ता अतिरिक्त प्राप्त करना।

15. विकलांग व्यक्तियों को उनकी योग्यता व दक्षता के अनुरूप काम दिये जाने का प्रावधान योजना में।

16. काम वाली जगह पर छॉव एवं प्राथमिक उपचार की सुविधा पंचायत द्वारा किया जाना।

17. 5 व उससे अधिक छोटे बच्चों की देखभाल के लिये काम वाली जगह पर महिला की अतिरिक्त व्यवस्था पंचायत द्वारा करना, उसे मजदूरी देना।

18. कार्यस्थल पर दुर्घटना होने की दशा में पीड़ित व्यक्ति का इलाज राज्य शासन द्वारा निःशुल्क होगा। मृत्यु होने या पूर्ण अपंग होने पर 25000 रु. दोनों हाथ–पॉव या ऑखें अपंग होने पर 15000 रु., 1 हाथ, एक पॉव या 1 ऑख अक्षम होने पर 10000 रु. तक की क्षतिपूर्ति का भुगतान पीड़ित व्यक्ति को करने का प्रावधान है।

19. कार्यस्थल पर निगरानी हेतु गॉव के ही शिक्षित व्यक्ति को मेट की जवाबदारी यह विकलांग व्यक्ति भी हो सकता है, 50 मजदूरों पर 1 मेट होगा।

20. कार्यस्थल पर मस्टर रोल व निगरानी रजिस्टर होना जरूरी।

निम्नलिखित मुद्दों पर सरलता से विस्तार पूर्वक जानकारी देकर बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत भूमि सुधार, जल संग्रहण, तालाबों, डेमों का सुधार, पर्यावरण सुरक्षा (वृक्षारोपण) आदि के तहत सड़क सुधार, तालाब का गहरीकरण व मरम्मत, कपिलधारा के कुंआ निर्माण, पौधारोपण, मेढ़बंदी आदि काम कराए जा सकते हैं।

संस्था मनरेगा के तहत पंजीकृत लोगो के काम की यांजना तथा प्रावधान की निगरानी भी करती है ,ताकि सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया ,निष्पक्ष ,सही और सामाजिक रूप से **अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति एवं अन्य गरीब परिवार के लोगो के लिये अधिक समावेशी है ह**म इसे इनके माध्यम से करे है ।

- एकीकृत सहभागितापूर्ण नियोजन अभ्यास
- सामाजिक अंकेक्षण और संसाधन मानचित्रण

परिणम अब तक :–

2014 के बाद से हमने

- ❖ मनरेगा के काम की मॉग करने के लिये 3465 परिवारों की सहायता की है ।
- ❖ जिसमें 70 प्रतिशत परिवारों ने वास्तव में मनरेगा रोजगार प्राप्त किया और इन परिवारों को भुगतान की गई ।
- ❖ मनरेगा के साथी बनने के लिये 40 ग्रामोंदूतों को प्रशिक्षित किया ।

काम मांगो अभियान :– मनेरगा के तहत परिवार हर साल भुगतान योग्य काम के 100 दिनों के हकदार हे । हालाकि रोजगार को केवल तभी प्राप्त कर सकते हे जब उनके पास मनरेगा जॉब कार्ड हो और अगर वे अपनी ग्राम पंचायत से रोजगार का अनुरोध करते है। प्रगति ग्रामीण विकास संस्था ने काम मॉगो अभियान का लक्ष्य सामाजिक रूप से अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जन जाति एवं गरीब परिवारों को इस सरकारी के तहत काम की मॉग को लेकर शिक्षित करना और एकत्र करना है ।

जागरूकता की कमी :–

ग्रामीण समुदायों को अधिक भुगतान योग्य काम करने की आवश्यकता है पर मनेरगा के तहत काम की मॉग नही हो पा रही है ।

सामाजिक रूप से अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जन जाति एवं गरीब परिवारों भेदभाव का सामना करना पड़ता है जो उनको अन्य रोजगार पूर्ण अजीविका अवसरों तक पहुॅचनें से रोकता है और इसलिये मनेरगा योजना उनके लिये एक महत्वपूर्ण आजीविका विकल्प है।

इस योजना के विस्तार में कमी का मुख्य कारण यह है कि समुदाय के सदस्यों को इसके बारे में पता नही है,या उनको काम की मॉग करने की प्रक्रिया समझ में नही आती है । इसके अलावा ग्राम पंचायतों ने लगातार इसं प्रोत्साहित नही किया है या इसके तहत काम की योजना नही बनायी है ।

यहॉ तक कि वह भी जहॉ ग्राम पंचायतों के पास मनरेगा काम योजना है सामाजिक रूप से बहि कृत समूहों को अक्सर योजना बनाने की बैठको से बाहर छोड़ दिया जाता है और इसलिये उनके यह जानने की कम संभावना है कि मनरेगा का काम उपलब्ध है इसके लिये आवदेन कैसे किया जायें ।

काम मॉगों अभियान :–

वर्ष 2008–09 में भीमपुर विकासखण्ड के पॉच पंचायतों में काम मॉगो अभियान शुरू किया ।इसके पहले वर्ष में 467 लोगो ने मनरेगा के तहत काम की मॉग की ।

अभियान के दो मुख्य उदेद्श्य है :–

1. **मनरेगा के तहत काम की मॉग करने वाले समुदायों को जागरूक करना ।**
2. **मनरेगा के तहत अन्य प्रक्रियाओं और हकों के बारे में समुदायों के बीच जागरूकता संक्षेप में , बढ़ाना और उनकी किसी भी अन्य शिकायतों का निवारण करने में उनहे मदद करना ।**

इसका लक्ष्य समुदाय के सदस्यों को इस योजना में सक्रिया हितधारक बनने और हकों की मॉग करने के लिय एकत्र तथा सशकत करना है।

मनरेगा के बारे में समुदायों को शिक्षित करना ।

काम मांगों अभियान में मनरेगा के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है,जैसे कि योजना कि लिये पंजीकरण में शामिल प्रक्रियायें , मजदुरी के भुगतान के लिये मान नियम और इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायत की भूमिका ।

इसमें काम की मांग शिविरों ,रैलियों और समुदाय की बैठको का आयोजन करना, और दिवान लेखन, चित्र, के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने सहित गतिविधियों की एक श्रृखला शामिल है ।

	स्वीकृत कार्यों के नाम	स्वी॰ राशि	दिनांक	जमा राशि
	वर्ष 2005.6			
1	चकढाना से वाड़ेढाना मिट्टी मुरमी रोड.1 कि.मी॰	3,32000	21/3/2006	042549
2	ढाकना से चिरवल्दा मार्ग 1 कि.मी. मि. मु. रोड	3,32000	27/4/06	132300
3	चेकडेम ढाकना.	1.87000	18/5/06	170195
4	कूप निर्माण चकढाना	0.85000	02/6/06	553745
5	कूप निर्माण चकढाना	0.85000	12/6/06	034000
6	कूप निर्माण तावड़ी	0.85000	12/6/06	034000
7	15 फार्म पौंड चकढाना	3.45000	12/6/06	132800
8	वृक्षारोपण चकढाना	0.62290	24/6/06	156957
9	वृक्षारोपण ढाकना	0.27186	31/8/06	241600
10	वृक्षारोपण तावड़ी	005461	19/12/06	001800
	योग	1545937=00		1500446
	वर्ष 2006×2007			
11	स्टापडेम चकढाना	4.30000	31/1/07	500000
12	चेकडेम चकढाना	2.08000	20/2/07	500000
13	चेकडेम तावड़ी	2.08000	10/5/07	500000
14	ग्रेवल रोड चकढाना से रैयतवाड़ी मार्ग 1 कि॰ मी॰	4.99000	29/5/07	194836
15	ग्रेवल रोड चिरवल्दा से वटकी मार्ग 1 कि. मी॰	4.99000	29/5/07	094713
16	35 कपिल धारा कूप	25.55000	20/6/07	106200
			20/6/07	200000
	योग =	4399000=00	30/6/07	189096

जारी समर्थन :– समुदायों द्वारा अपनी काम की मांगों को रखे जाने के बाद भी यह बंद नही होती है – यदि उनकी मॉगों को पूरा नही की जाती हे तो विकासखण्ड़ स्तर फिर जिला स्तर पर अधिकारियों के साथ फॉलो अप करने में मदद पर अभियान घ्यान केन्द्रित करता है ।यदि काम को निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध नही कराया जाता है तो बेरोजगारी भत्ते के लिये आवदेन करने में मदद करता है ।

काम की मांग के अनुरूप विकास कार्य की रूपरेखा उसके व्यय संबंधी प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेवारी पंचायत को होगी, जो ग्रामीण उपयंत्री की मदद से तैयार करेगी। कामों को कराने के लिये जनपद पंचायत स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त हैं, लेकिन लागत के आधार पर कम से कम 50 प्रतिशत या आधे काम पंचायत द्वारा कराए जाने का प्रावधान है। कराए जाने वाले कार्य की गुणवत्ता को क्षेत्रीय उपयंत्री द्वारा जॉचा परखा जाएगा। इस योजना में निजी ठेकेदारों से कोई काम नहीं कराए जाने का प्रावधान है।

1 उपर्युक्त जानकारी देकर उपस्थित ग्रामवासियों से भविष्य में अपने हक के लिये इन बातों का सहारा लेकर काम पाने के लिये प्रेरित करने का प्रयास किया गया एवं इस योजना के अंतर्गत उनको होने वाली असुविधा या परेशानियों पर चर्चा की गई।

2 चार माह से 344 मजदूरो को मजदूरी का भूगतान न होना

3 उपयंत्री के द्वारा समय पर मूल्यांकन नही करना

4 ग्रम से बैंक की 25 कि मी दूरी होने के कारण मजदूरो को मजदूरी का भूगतान समय पर न होना।

5 ग्राम सभा मे हितग्राहियो का चयन सही न होना।

6 कपिलधारा के अर्न्तगत सरपंच के कहने पर चार ग्रामवासियो ने कपिलधारा के कुअे खुदवाये जिन के नाम निम्नलिखित है–

1 सुखदेव पिता श्री सुखलाल

2 छोटे पिता श्री दसरू

3 सखीराम पिता श्री पान्डू

4 मंहगी पिता श्री सम्मु काकोडिया

इन चार कुओं मे से एक कुऍ वाला सरपंच का रिस्तेदार हैं जिसको सरपंच ने पत्थर सीमेन्ट दे दिया जिसके कुऍ का काम पुरा हो गया जिसमें भी मजदुरो को चार माह से भुगतान नही हुआ है ।

सरपंच से चर्चा हुई तो सरपंच ने कहा कि मैने कुऍ खोदने नही कहॉ था इन्होने अपने मन से ही खोद लिये है मै कहॉ से भुगतान करूगॉ । जिसके कारण मजदुर परेशान हो गये । मैने जिन सात कुओं की स्वीकृति दी थी उनका भी तो भुगतान तो नही हो पा रहा है ।

तत्पश्चात् ग्राम भाण्डवा में श्री रामदीन वल्द बिसन कुमरे एवं श्री मुन्ना वल्द छन्नू काकोड़िया के खेत में जाकर कपिलधारा कूप निर्माण कार्य की केस स्टडी की गई।